संख्या 31011/4/91-स्था0(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई, 1991

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- अकेले अपंग सरकारी कर्मचारी के साथ जाने वाले एक मार्गरक्षी के लिए छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा की अनुमति ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारी पक्ष ने राष्ट्रीय परिषद (जे0सी0 एम0) में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि अकेले अपंग सरकारी कर्मचारी के साथ जाने वाले किसी मार्गरक्षी के लिए छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अन्तर्गत उसे (अपंग सरकारी कर्मचारी) अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाए । इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि यात्रा में किसी अपंग सरकारी कर्मचारी के साथ जाने वाले मार्गरक्षी के लिए निम्नलिखित शर्तों पर छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा दी जा सकती है:-

1. कि प्रत्येक अवसर पर संबंधित विभागाध्यक्ष की पूर्व-अनुमति प्राप्त कर ली जाए;
2. सरकारी कर्मचारी की शारीरिक अपंगता/असमर्थता इस प्रकार की हो कि उसके साथ यात्रा में मार्गरक्षी जरूरी हो । संदेह के मामले में विभागाध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होगा ।
3. शारीरिक रूप से विकलांग सरकारी कर्मचारी के परिवार में कोई व्यस्क सदस्य न हो ।
4. ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी तथा मार्गरक्षी ने, रेलवे/राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा यथा अनुमत्य रेल/बस किराए में रियायत, यदि कोई हो, का लाभ उठाया हो ।
5. कोई एसा अन्य व्यक्ति, जो छुट्टी यात्रा रियायत का पात्र हो, यात्रा में अपंग सरकारी कर्मचारी के साथ न गया हो ।

2. मंत्रालयों और विभागों से यह अनुरोध है कि वे उक्त निर्णय को सभी संबंधितों के ध्यान में ला दें ।

(एम0एस0 बाली)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभाग सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित ।